बनाराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डगसोई वगैरह
मुकदमा नम्बर 09/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

अपीलान्ट :–

बनाराम पुत्र महादेव उम्र 55 वर्ष जाति मीणा निवासी मुण्डगसोई तहसील नावां।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डगसोई तहसील नावां।
2. सचिव ग्राम पंचायत मुण्डगसोई तहसील नावां।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब नावां।
4. राजूराम पुत्र मांगुराम उम्र 50 वर्ष जाति गोखी निवासी मुण्डगसोई तहसील नावां।
5. मदन पुत्र हनुमान उम्र 48 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम ज्ञान सिंह का बास भादवा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

अपील बाबत :– अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 6.3.2020 ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा ग्राम मुण्डगसोई के खसरा नम्बर 193 में दर्ज स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 570 को निरस्त करवाने

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5

मुकदमां नम्बर :– 09/2021 निर्णय दिनांक :– 30.01.2024

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 एक ही ग्राम मुण्डगसोई के स्थाई निवासी है जिनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 3.91 हैक्टर स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का हिस्सा 12/391 दर्ज है परन्तु सभी की शामलाती कब्जा क़ाश्त है मौके पर कोई बंटवारा नहीं हो रखा है अपीलान्ट का भी उक्त खसरा नम्बर में 12/391 हिस्सा दर्ज है जिसकी नकल जमाबन्दी संलगन अपील पेश है जिसे अपील का भाग समझा जावें। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मदन पुत्र हनुमान जाति मीणा है जो एक अनुसुचित जनजाति की श्रेणी में आते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राजूराम पुत्र मांगुराम जाति गोखी है जो अनुसुचित जनजाति (एस.टी.) की श्रेणी में नहीं आकर अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आता है फिर भी अपनी जाति छिपाकर गोखी के स्थान पर धाणका जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया व उस जाति प्रमाण पत्र को काम में लेते हुए एक फर्जी रजिस्टर्ड [illegible] दिनांक 30.7.2018 को अपने हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर [illegible] रकबा 3.91 हैक्टर में से उसका सम्पूर्ण हिस्सा 12/391 अपने हक में नामान्तरण करवाया उसका नामान्तकरण संख्या 570 दिनांक 6.3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

2020 को तस्दीक करवाकर राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद करवा कर अवैध रूप से हमारी जमीन में कब्जा करना चाहता है जो कतई सही नहीं है नकल रजिस्टर्ड बैचाननामा जाति प्रमाण पत्र व नामान्तकरण संख्या 570 की संलगन अपील पेश है जिसे अपील का भाग समझा जावें। तहसीलदार नावां के समक्ष जो रेस्पोडेन्ट ने अपना जाति प्रमाण पत्र दिनांक 22.7.2010 को गोखी जाति छिपाकर धाणका जाति का प्रमाण पत्र बनाया उसका भी तहसील कार्यालय नावा में रिकार्ड नहीं है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तहसील कार्यालय नावां द्वारा साईबर काईम पुलिस स्टेशन जयपुर को दिनांक 4.3.2021 को दर्ज करवा रखी है। अपीलान्ट ने भी एक फोजदारी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना मारोठ में दिनांक 5.9.21 को रिपोर्ट पेश की थी व एक रिपोर्ट एसपी नागौर को प्रेषित की थी। उक्त रजिस्टर्ड बैचान नामा दिनांक 30.7.2018 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मदन पुत्र हनुमान मीणा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राजूराम पुत्र मागुराम गोखी के हक में कृषि भूमी का रजिर्ड बैचाननामा निष्पादित करवाया है जबकि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बोर्ड होते हुए भी कराया है जो शुरू से शुन्य है जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जानते हुए नामान्तकरण संख्या 570 को स्वीकृत कर भारी कानुनी भूल व गलती की है जिससे भी एक शुन्य दस्तावेज को आधार मानकर नामान्तकरण स्वीकृत किया है वह नामान्तकरण संख्या 570 अवैध है। ग्राम पंचायत मुण्डगसोई के सरपंच द्वारा दिनांक 6.3.2020 को मौजा मुण्डगसोई के खसरा नम्बर 193 के सम्बन्ध में नामान्तकरण संख्या 570 के सम्बन्ध में जो आदेश व निर्णय पारित किया वह अवैध व कानुन के विपरीत जाकर किया गया होने से अपीलान्ट को उक्त आदेश नामान्तकरण संख्या 570 के आदेश को अपास्त करवाने के निम्न लिखित आधार है–मौजा ग्राम मुण्डगसोई के खेत खसरा नम्बर 193 का संयुक्त खातेदार जो बैचानकर्ता है वह जाति से मीणा है रजिस्टर्ड बैचान नामा में भी उसने अपना नाम मदन पुत्र हनुमान जाति मीणा लिखा है और क्रेता राजूराम पुत्र मागुराम जाति गोखी है जो दोनो अनुसुचित जन–जाति में नहीं आने से वह बैचान शुन्य है राजूराम पुत्र मांगुराम की पैतृक भूमी खेत खसरा नम्बर 202 व 203 वाके शरहद मुण्डगसोई में भी वक्त सेंटलमेन्ट से आज तक राजूराम के दादा स्वर्गीय लादूराम के जाति गोखी व लादूराम के पाँच पुत्र झुता मांगु हणमान, मगला किशना पिता लादू जाति गोखी दर्ज है राजूराम मागु का पुत्र है सम्पूर्ण परिवार गोखी है मात्र राजूराम अकेला धाण को कैसे हो सकता है इस प्रकार अपनी जाति छिपाकर गलत जाति प्रमाण पत्र बनाया वह भी विवादीत होने से रजिस्टर्ड बैचान नामा शुन्य होने से अवैध व शुन्य बैचान नामा के जरिये जो नामान्तकरण संख्या 570 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा दिनांक 6.3.2020 को जो आदेश पारित किया गया है वह अवैध व शुन्य है नामान्तरण संख्या 570 आपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा नामान्तकरण संख्या 570 के सम्बन्ध में आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की जाँच किये बिना ही नामान्तकरण की स्वीकृति के आदेश पारित कर कानुनन गलत किया है जिसे अपास्त किया जाना न्यायहीत में बहुत ही [illegible]। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर मौजा ग्राम मुण्डगसोई के खसरा नम्बर 193 के [illegible] में ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा दिनांक 6.3.2020 को नामान्तकरण संख्या 570 [illegible] स्वीकृति आदेश को निरस्त फरमाने व नामान्तकरण संख्या 570 की आड़ में की गई [illegible] कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें व ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुण्डगसोई के खसरा नम्बर 193 में मदन पुत्र हणमान मीणा का नाम पुनः दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार नावा को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने तथा रेस्पोडेंट संख्या 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 को बार–बार समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 3 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त। रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से जवाब अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मुण्डगसोई तहसील नावां की सरहद में कृर्षि भूमि खसरा नं. 193 रकबा 3.91 हैक्टर मे से 12/391 वा हिस्सा मुझ रेस्पो. का जरिए विक्रय पत्र खरीद शुद्धा भूमि आयी हुई है जिसका नामान्तरण भरकर जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज चली आ रही है व मौके पर विभाजन हो रखा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज चली आ रही है। रेस्पो सं. 5 मदन पुत्र हनमान जाति मीणा के नाम में खातेदारी दर्ज हो गयी जो कि तत्कालिन काबिज खातेदार गोरूराम पुत्र मांगुराम जाति मीणा ने अपने हिस्से मे से जरिए विधिवत बैचाननामा तत्कालीन बाजार भाव से रोकडी रूपये प्राप्त कर मदनलाल को किया गया था मदनलाल ने अपने द्वारा खरीद शुद्धा भूमि को रजिस्टर्ड बैचान नामा दिंनाक 30/07/2018 को मुझ रेस्पो. को किया गया तत्कालिन बाजार भाव से कय के दिन से काबिज चला आ रहा हूँ व विधिवत विकय पत्र से बैचान किया गया है व मुझ रेस्पो. उत्तरदाता की जाति धानका है जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है (एस.टी.) श्रेणी मे आती है जो सही है। रेस्पो. ने जरिए रजिस्टर्ड विधिवत बैचान नामा से उक्त भूमि खरीद की गयी है जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है व जिसमे राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बाध्य नही है न ही गलत दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो बैचान नामा किया गया है व सही एंव बैध दस्तावेज है व जो नामान्तरण सं. 570 भरा गया है वह सही एंव विधि सम्वत् भरा गया है व इनको दस्तावेज फर्जी लगते हैं ते उक्त वैचान नामे को चलेंज करना चाहिए या सक्षम न्यायालय में ऐसा नहीं किया नामान्तरण अपील बनती ही नहीं है अनावश्यक न्यायालय का समय खराब करने हेतु नामान्तरण अपील प्रस्तुत की गयी है जो कि काबिल खारीज है। ग्राम मुण्डगसोई के खेत खसरा नं. 193 के सहखातेदार गौरूराम के द्वारा उक्त भूमि को मदन को बैचान किया व मदन को द्वारा उक्त भूमि को मुझ रेस्पो. उत्तरदाता को बैचान किया गया जो कि वैध दस्तावेज है जिसमें आज दिनांक तक अपीलान्ट ने कही सक्षम न्यायालय में चलेंज नही किया है उक्त दस्तावेज के आधार पर भरा गया है उक्त दस्तावेज के आधार पर भरा गया नामान्तरण सं. 570 जो सही एंव विधिक है। ग्राम पंचायत अपने आप में न्यायालय होने से उसमें जांच करके ही नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है जो कानूनन सही एंव विधिवत किया गया है। उक्त भूमि को बैचान करने वाले क्रेता दोनो ही अनुसूचित जन जाति के सदस्य है (एस.टी.) की श्रेणी में आते है जिसमें धारा 42 का उल्घन कभी नही हुआ है। मीणा व गोखी (धाणका) दोनो ही एस.टी. में आते है जिसमें अपीलान्ट का कोई हित प्रभावित नही होता है न ही अपीलान्ट को कोई हक प्राप्त है उक्त भूमि का नामान्तरण रजिस्टर्ड विधिवत बैचान नामा में तत्कालिन बाजार भाव में खरीद किया गया है व उसी आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

पर पटवारी हल्का से नामान्तरण भरा व भू.अ. निरक्षण ने जांच की छायी व ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है वह सही किया गया है। ग्राम मुण्डगसोई में स्थित भूमि खसरा नं 193 की भूमि मे से 12/391 का हिस्सा भूमि मुझ रिस्पो सं. 4 उत्तरदाता की खरीद शुद्धा भूमि आयी हुई है जिसका नामान्तकरण सं. 570 के द्वारा खातेदारी में नाम दर्ज चला आ रहा है व जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दर्ज हुआ है जो कि सही एंव दुरूस्त है। अगर अपीलान्ट का कोई हित प्रभावित होता है व उनको उक्त दस्तावेज फर्जी व उक्त बैचान नामा फर्जी लगता है तो उसको सक्षम न्यायालय में उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजो को चेलेंज करना चाहिए। जो कि नामान्तकरण अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो नामान्तरण सं. 570 दिनाक 06/03/2020 को स्वीकृत किया ग्राम पंचायत विधिवत सुनवायी करते हुए किया व रजिस्टर्ड बैचान शुद्धा विकय पत्र सं. 201803273102213 दिंनाक 30/07/2018 के तहत नामान्तरण दर्ज किया जो कि सही है। उपरोक्त अपील केवल मात्र मिथ्या एंव मनगढत कथनो पर केवल न्यायालय का समय नष्ट करने के उदेश्य से प्रस्तुत की गयी है जो कि काबिल खारीज है कतई चलने योग्य नही है व ग्राम मुण्डगसोई के खसरा नं. 193 के बाबत ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा दिंनाक 06/03/2020 को नामान्तरण सं. 570 स्वीकृत किया गया है जो कि सही किया गया हैं व विधि सम्वत किया गया है इस प्रकार उक्त नामान्तरण अपील को मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट राजूराम की जाति के संबंध में तहसीलदार नावां से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट राजूराम पुत्र मांगुराम निवासी मुण्डगसोई की जाति के संबंध में रिपोर्ट पटवारी व जमाबंदी संवत 2065 से 2068 अनुसार राजूराम पुत्र मांगुराम निवासी मुण्डगसोई की जाति गोखी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम मुण्डगसोई के खसरा नम्बर 193 रकबा 3.91 हैक्टर भूमि में से 12/391 हिस्सा भूमि मदन पुत्र हनुमान जाति मीणा निवासी ग्राम ज्ञानसिंह का बास भादवा तहसील फुलेरा खातेदारी में दर्ज रही है। खातेदार मदन पुत्र हनुमान ने अपने उक्त 12/391 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेंट संख्या 4 राजूराम पुत्र मांगुराम जाति धानका निवासी ग्राम मुण्डगसोई तहसील नावां को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा बतौर प्रतिफल बैचान कर दी। तत्पश्चात नामांतरकरण संख्या 570 को दिनांक 06.03.2020 को ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा स्वीकृत किया गया तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 मदन के स्थान पर रेस्पोडेंट संख्या 4 राजूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। अपीलांट ने अपनी अपील में रेस्पोडेंट संख्या 5 मदन पुत्र हनुमान की जाति मीणा है जो एक अनुसुचित जनजाति की श्रेणी में आते है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राजूराम पुत्र मांगुराम जाति गोखी है जो अनुसुचित जनजाति (एस.टी.) की श्रेणी में नहीं आकर अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेंट संख्या 4 राजूराम रेस्पोडेंट संख्या 5 मदन से भूमि क्रय की है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार अवैध है। ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा दिनांक 06.03.2020 को नामान्तकरण संख्या 570 के स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए ग्राम मुण्डगसोई के खसरा नम्बर 193 में मदन पुत्र हणमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मीणा का नाम पुनः दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु ग्राम मुण्डगसोई के खसरा नम्बर 193 रकबा 3.91 हैक्टर भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 5 मदन ने अपने हक हिस्से की भूमि को बतौर प्रतिफल रेस्पोडेंट संख्या 4 राजूराम को बैचान की है तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 मदन की उक्त भूमि में अपीलांट का कोई हित निहित नहीं है तथा अपीलांट ने अपनी अपील में भी ऐसे कोई दस्तावेजात, साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये जिससे रेस्पोडेंट संख्या 5 मदन की भूमि में अपीलांट का कोई हित निहित हो। तहसीलदार नावां से प्राप्त रिपोर्ट एवं अपील में उपलब्ध दस्तावेजात से भी रेस्पोडेंट संख्या 4 राजूराम की जाति अनुसूचित जनजाति के बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का है, का स्पष्ट तथ्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अपीलांट ने किसी प्रकार के संतोषप्रद दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से नामान्तकरण संख्या 570 दिनांक 6.3.2020 को ग्राम पंचायत मुण्डगसोई द्वारा स्वीकृत किया गया उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:02:55 IST
Reason: SelfAttested